बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–03–72/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..

सिविल सर्जन, वैशाली के पत्रांक–1732 दिनाक–19 09.2024 के प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक, वैशाली के पत्रांक–2154 दिनाक–09.08.2024 द्वारा डॉ० सजय कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, हाजीपुर के विरूद्ध गोरौल थाना काण्ड सं०–130/2024 के जख्मी श्री बच्चा झा, पिता–श्यामनन्दन झा, साकिन बहादुरपुर गोरौल का बाये भाग के जख्म को जख्म प्रतिवेदन मे दायें भाग में अंकित करने के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं०–770(9) दिनांक–11.07.2025 द्वारा आरोप–पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी, जिसके अनुपालन मे डॉ० सिह द्वारा विभाग में अभिकथन समर्पित किया गया।

2. डॉ० सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि दिनांक–02.04.2024 को अपराह्न 02 बजें से 09 बजे तक आकस्मिक कक्ष में कार्य कर रहे थे। उक्त तिथि को डॉ० सिन्हा द्वारा आकस्मिक कक्ष में 77 मरीजों को देखा गया है। मरीजों की संख्या आकस्मिक कक्ष में अधिक होने के कारण जख्म प्रतिवेदन में जख्म का स्थान बाये के स्थान पर दाये अंकित हो गया।

3. विभागीय पत्राक–1115(9) दिनांक–08.10 2025 द्वारा डॉ० सिन्हा के समर्पित स्पष्टीकरण की जॉच करने हेतु सिविल सर्जन, वैशाली से मतव्य सहित प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक मे सिविल सर्जन, वैशाली के पत्रांक–2548 दिनाक–11 11.2025 के प्रतिवेदन मे डॉ० सिन्हा द्वारा दिनाक–02 04.2025 को 02 बजे दिन से रात्रि 09 बजे तक इमरजेसी मे 77 मरीजो का ईलाज किया गया है और उनके द्वारा जख्मी का उचित ईलाज किया गया है। कार्य के अधिकता के कारण जख्म प्रतिवेदन में जख्म का गलत दिशा अंकित कर दिया गया है। इसे मानवीय भूल मानकर क्षमा याचना को स्वीकार करने का मंतव्य दिया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० सिन्हा के अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त सिविल सर्जन, वैशाली द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में डॉ० सिन्हा द्वारा निर्गत जख्म प्रतिवेदन में सिर्फ जख्म के स्थान में भिन्नता पायी गयी। जख्म की प्रकृति में भिन्नता परिदर्शित नहीं होता है। अतः डॉ० सिन्हा को भविष्य में सजग होकर जख्म प्रतिवेदन निर्गत करने का निदेश देते हुए उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का विनिश्चय किया गया।

5. अतएव डॉ० संजय कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, हाजीपुर को भविष्य में सजग होकर जख्म प्रतिवेदन निर्गत करने का निदेश देते हुए स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ०–03–72/2024(स्वा0) ..../ **पटना, दिनांकः**–.................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

कृ०पृ०उ०

(15)

ज्ञापांक–9 / आ०–03–72 / 2024(स्वा0) 382(9)/ पटना, दिनांकः–08.04.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर / सिविल सर्जन, वैशाली / कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० सजय कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, हाजीपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव / सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना / प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एव 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/04/2026

सरकार के अवर सचिव।